

राजस्थान सरकार

कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्राक्धायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)

डी- ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास, जयपुर-302005
दूरभाष - 2740252, 2740219, 2740292 (फैक्स)

Email: add.medl.sipf@rajasthan.gov.in
Website: www.sipf.rajasthan.gov.in

मेडिकलेम बीमा पॉलिसी शिखरूल (नवीनीकृत)
(विशेष निर्मित पॉलिसी)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर

पॉलिसी नं. : जी.आई.एफ./B1/मेडि./2020-21/04
बीमा अवधि : 04.05.2020 से 03.05.2021 (एक राशि)
बीमित का नाम : दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर के 2758
कार्मिक एवं उन पर आश्रित परिजन।

जारी की तारीख : 14.05.2020
कुल बीमा राशि : रुपये 3 लाख
(प्रति कर्मचारी एवं उनके नियमानुसार आश्रित परिजन)
प्रीमियम : 1550/- +30 Category -A / B / C जी.एस.टी-Nil

कुल कर्मचारी (जिनके लिए प्रीमियम प्राप्त): 2758
शुद्ध प्रीमियम मय विविध व्यय रु. 43,57,640/-
जी.एस.टी. : Nil/-
कुल प्रीमियम रु. 43,57,640/-
ई-ग्रास GRN सं 0039245270 दिनांक 04.05.2020 राशि रु. 43,57,640/- (वालान सं 55151 समाशोधन दिनांक 04.05.2020)

जोखिम का विवरण
जोखिम आवरण : राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक व परिजनों हेतु गुप मेडिकलेम, विशेष रूप से निर्मित
पॉलिसी-बीमा राशि : 3 लाख प्रति कार्मिक परिवार
पॉलिसी क्लॉज के अध्यक्षीन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक के परिवार में निम्न शामिल है:
(a) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर कार्मिक (स्वयं),
(b) उसका/उसकी पति/पत्नी
(c) 2 आश्रित बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं हों।
(d) आश्रित माता-पिता राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक पर आश्रित माने जायेंगे जबकि वे सामान्यतया राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक के साथ, उसके तैनाती स्थल पर रहते हों एवं उनकी मासिक आय सभी स्त्रोतों से रुपये 2000/-से अधिक नहीं हो।

वर्ष 2020-21 की पॉलिसी के संचालन के लिए एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि. नियुक्त है। टोल फ्री नं.- 1800-123-171-171
टीपीए डेस्क, एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि.
932, किसान मार्ग, बरकत नगर,
जयपुर - 302015 (राजस्थान) फोन नं.: 7219631003
ई-मेल: jaipur@mdindia.com
आपातकालीन परिस्थिति में सम्पर्क करें: +91 8956325949
(श्री अभिलाषा सिंह, सहायक प्रबन्धक, टीपीए)

इस पॉलिसी से संबंधित दावों/दस्तावेजों को साधारण बीमा निधि/टीपीए के कार्यालय में जमा करावें।
[उपरोक्त में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी, जिसे विभागीय वेबसाइट
(www.sipf.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।]

साधारण बीमा निधि की मेडिकलेम पॉलिसी की सामान्य शर्तों के अध्यक्षीन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर कार्मिक को बीमा आवरण प्रदान किया गया है।

अति. निदेशक(मेडि0)
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
सा.बी.नि., राजस्थान, जयपुर

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
राजस्थान, जयपुर

**नोट: पॉलिसी के समस्त नियम एवं शर्तें
राजमेडिकलेम पॉलिसी 2020-21 के अनुरूप
हैं।**



RRVNL POLICY 20-21